



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी  
प्रेस-नोट

दिनांक:-21-01-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त महेश को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 02 माह 10 दिन की सजा तथा कुल 2000/- रू0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

थाना-लक्सा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 29/2008, धारा-4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त महेश पुत्र बरसाती निवासी- लक्ष्मीकुण्ड थाना लक्सा वाराणसी को थाना-लक्सा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 21.01.2025 को मा0 न्यायालय ACJM-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त महेश उपरोक्त धारा-4/25 आर्म्स एक्ट में 02 माह 10 दिन की सजा व कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर 07 दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी  
कमिश्नरेट-वाराणसी